रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042020-219211
CG-DL-E-28042020-219211

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2020/वैशाख 8, 1942
No. 161] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2020/VAISAKHA 8, 1942

भारतीय दन्त परिषद

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2020

फा. सं. डीई-166-2019.—दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पत्र सं. V.12025/1/98-डीई दिनाँक 15/16 जुलाई, 2009 के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति से भारतीय दन्त परिषद, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड 4, दिनाँक 10 अक्तूबर, 2007 में प्रकाशित मौजूदा प्रमुख **भारतीय दन्त परिषद डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट (सहायक) हेतु न्यूनतम शैक्षिक मानक के रखरखाव के लिए विनियम**, में निम्नलिखित संशोधन करती है, **नामतः-**

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-**

(i) इन विनियमों को भारतीय दन्त परिषद डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट हेतु न्यूनतम शैक्षिक मानक के रखरखाव के लिए (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकता है।

(ii) ये अधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. मौजूदा **भारतीय दन्त परिषद डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट हेतु न्यूनतम शैक्षिक मानक के रखरखाव के लिए विनियम**, विनियम सं. 1 के बाद, निम्नलिखित विनियम 1(क) को इसके स्थान पर अन्तर्स्थापित किया जाता है:

2(1) 'एतद्द्वारा निर्धारित की गई अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की शर्त के आधार पर, संबंधित राज्य सरकार द्वारा डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट कोर्स आरंभ करने/सीटों को बढ़ाने की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने तथा तकनीकी जाँच के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात, इच्छुक दन्त कॉलेज डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट में डिप्लोमा शुरू करने के लिए भारतीय दन्त परिषद में आवेदन शुल्क 1.5 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि सचिव, भारतीय दन्त परिषद,

नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करके आवेदन करेंगे। शासकीय दन्त कॉलेजों/संस्थानों को किसी भी आवेदन/निरीक्षण शुल्क से छूट दी गई है।

2(2) जब कॉलेज का पहला बैच डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट में अपने अंतिम वर्ष के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा देता है, संबंधित कॉलेज मान्यता शुल्क 3 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि के साथ डीसीआई को डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट में इसके डिप्लोमा पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए आवेदन करेगा, जो कि 'सचिव, दंत चिकित्सा परिषद को डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से दिल्ली में देय' होना चाहिए। इसके अलावा कॉलेज इसके उपरान्त प्रत्येक अनुवर्ती अनुपालना के सत्यापन के लिए, यदि कोई हो, 1.5 लाख रुपये एवं लागू जीएसटी की राशि निरीक्षण किए जाने की तिथि के 15 दिनों के भीतर भुगतान करेगा।

बशर्ते कि शासकीय दन्त कॉलेजों को दोनों प्रकार के शुल्क से छूट दी जाए।

डॉ. सब्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./16/2020-21]

फुट नोट (पाद टिप्पणी): मूल विनियम नामतः, भारतीय दन्त परिषद डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट हेतु न्यूनतम शैक्षिक मानक के रखरखाव के लिए विनियम, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड 4 में दिनांक 11 अक्तूबर 2007 को प्रकाशित किया गया तथा दिनांक 26-7-2010 को संशोधित किया गया।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2020

F. No. DE-166-2019.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, in supersession of GOI's letter No.V.12025/1/98-DE dated 15/16 July, 2009, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendments to the existing principal Dental Council of India Regulations **For the Maintenance of Minimum Educational Standard for Dental Operating Room Assistant**, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 10th October, 2007 namely:–

1. Short title and commencement:–

(i) These Regulations may be called the Dental Council of India for the Maintenance of Minimum Educational Standard for Dental Operating Room Assistant (2nd Amendment) Regulations, 2020.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In existing Dental Council of India Regulations **For the Maintenance of Minimum Educational Standard for Dental Operating Room Assistant**, after Regulations, No.1, the following Regulation 1(A) is hereby inserted namely:

1(A) 'Subject to the fulfillment all other requirements as prescribed hereinafter, the dental college desirous to start diploma in Dental Operating Room Assistant (in short DORA) shall apply to the Dental Council of India with an application fee of Rs. 1.5 lakh plus GST as applicable by Demand Draft/Pay Order/NEFT/RTGS in favour of 'Secretary, Dental Council of India, payable at Delhi', after obtaining NOC from the respective State Government for technical scrutiny and for obtaining the necessary permission for starting/Increase of seats in the Dental Operating Room Assistant Course. The Government Dental Colleges/Institutions are exempted from any application/Inspection fee.

2(2) The college, when its first batch appears in its final year diploma in Dental Operating Room Assistant examination, shall apply to DCI alongwith a recognition fee of Rs.3 lakhs plus GST as applicable, for recognition of its diploma in Dental Operating Room Assistant by Demand Draft/Pay Order/NEFT/RTGS in favour of 'Secretary, Dental Council of India, payable at Delhi', Further the college shall pay Rs. 1.5 lakhs plus GST as applicable for each subsequent compliance verification, if any, within 15 days from the date of inspection.

Provided that the Government Dental Colleges shall be exempted from both kind of fee.

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./16/2020-21]

Foot Note : The Principal Regulations namely, Dental Council of India Regulations For the Maintenance of Minimum Educational Standard for Dental Operating Room Assistant, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 10th October, 2007 and amended on 26.7.2010.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.04.28 20:29:32 +05'30'